न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2020 GCMS NO 2020/00047
दायरा तिथि : 17.08.2020
आदेश तिथि : 25-4-2021
प्रार्थी :–
श्री लकमाराम पुत्र श्री हुकमाजी जाति मेघवंशी
निवारी बोया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
ब ना म
अप्रार्थीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र मानाजी जाति मेघवंशी
2. झालाराम पुत्र मगाजी जाति मेघवंशी
3. केसा पुत्र गमनाजी जाति मेघवंशी निवासी बोया
4. हसीया पुत्र नथा के उत्तराधिकारी वारिशान:–
4/1 हंजा पत्नि हसीया जाति मेघवंशी
4/2 तुलसा पुत्र हसीया जाति मेघवंशी
4/3 कोनु पुत्री हसीया जाति मेघवंशी
4/4 पवनी पुत्री हसीया जाति मेघवंशी
4/5 मोहनी पुत्री हसीया जाति मेघवंशी
4/6 सुगनो पुत्री हसीया के उत्तराधिकारीगण:–
4/6/1 सागर पुत्र सुगनो जाति मेघवंशी
4/6/2 अर्जुन पुत्र सुगनो जाति मेघवंशी
4/6/3 भावना पुत्री सुगनो जाति मेघवंशी निवासी बोया
5. मगीया पुत्र नथा के उत्तराधिकारीगण:–
5/1 जसीबाई पत्नि मगीया जाति मेघवंशी
5/2 मानाराम पुत्र मगीया जाति मेघवंशी
5/3 झालाराम पुत्र मगीया जाति मेघवंशी
5/4 धन्नाराम पुत्र मगीया जाति मेघवंशी
5/5 शान्तिबाई पुत्री मगीया जाति मेघवंशी निवासीगण बोया
6. पनीया पुत्र नथा जाति मेघवंशी
7. फुली पत्नि सदा जाति मेघवंशी
8. रूपी पुत्री सदा जाति मेघवंशी
9. छोगा पुत्र किशना जाति मेघवंशी
10. हरतना पुत्र खरता जाति मेघवंशी निवासी बोया
11. पोमा पुत्र खरता के उत्तराधिकारीगण वारिशान:–
11/1 गमनी पत्नि पोमा
11/2 पूरण पुत्र पोमा
11/3 जीवा पुत्र पोमा
11/4 अंशी पुत्री पोमा
11/5 चम्पादेवी पुत्री पोमा
11/6 नगा पुत्र पोमा जाति मेघवंशी निवासीगण बोया
12. वाला पुत्र केसा
13. हीरा पुत्र समा
14. समा पुत्र खुशाल जाति मेघवंशी निवासीगण बोया
15. रूपा पुत्र खुशाल जाति मेघवंशी के उततराधिकारी व वारिशान:–
15/1 तीजोबाई पत्नि रूपा जाति मेघवंशी
15/2 चतरा पुत्र रूपा जाति मेघवंशी
15/3 रता पुत्र रूपा जाति मेघवंशी
15/4 लक्ष्मण पुत्र रूपा जाति मेघवंशी
15/5 मन्जु पुत्री रूपा जाति मेघवंशी निवासीगण बोया
16. खीमा पुत्र दला जाति मेघवंशी
17. गणेशराम पुत्र दला जाति मेघवंशी
18. टिपु पुत्री दला जाति मेघवंशी
19. गंगा बाई पत्नि दला जाति मेघवंशी
20. चुनकी पुत्री दला जाति मेघवंशी
21. भुरीया उर्फ भूरा पुत्र खरता के उत्तराधिकारी व वारिसान:–
21/1 प्रताप पुत्र भुरीया
21/2 सोनाराम पुत्र भुरीया
21/3 मोटाराम पुत्र भुरीया
21/4 सुगना पुत्री भुरीया जातिगण मेघवंशी निवासीगण बोया तहसील बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

22. भगा पुत्र चेला जाति मेघवंशी के उत्तराधिकारीगणः–
  22/1 तुलसा पुत्र भगा की मृत्यु होने से उत्तराधिकारीगणः–
    22/1/1 कानु पत्नि तुलसा
    22/1/2 मुलाराम पुत्र तुलसा
    22/1/3 राजु पुत्र तुलसा
    22/1/4 मनोज पुत्र तुलसा जातिगण मेघवंशी निवासीगण बोया
  22/2 सुखी पुत्री भगा
  22/3 सोमाराम पुत्र भगा जाति मेघवंशी निवासी बोया
23. हंसा पुत्र भला जाति मेघवंशी के उत्तराधिकारीगणः–
  23/1 मोहन पुत्र हंसा
  23/2 कस्तुर पुत्र हंसा के उत्तराधिकारीगणः–
    23/2/1 पोनी पत्नि कस्तुर
    23/2/2 अमृत पुत्र कस्तुर
    23/2/3 सुरेश पुत्र कस्तुर
  23/3 मधु पुत्री हंसा जाति मेघवंशी निवासी बोया
24. मृत समा के उत्तराधिकारीगणः–
  24/1 कस्तुर पुत्र समा के उत्तराधिकारीगणः–
    24/1/1 रकमो पत्नि कस्तुर
    24/1/2 शंकर पुत्र करतुर
    24/1/3 हिम्मत पुत्र करतुर जाति मेघंवशी निवासी बोया
  24/2 चुना पुत्र समा के उत्तराधिकारीगणः–
    24/2/1 शान्तिदेवी पत्नि चुना
    24/2/2 नारायण पुत्र चुना
    24/2/3 छगन पुत्र चुना
    24/2/4 घीसु पुत्र चुना
    24/2/5 रिंकु पुत्री चुना जातिगण मेघवंशी निवासीगण बोया
  24/3 काना पुत्र समा जाति मेघवंशी के उत्तराधिकारीगणः–
    24/3/1 लादा पुत्र काना
    24/3/2 गुडिया पुत्री काना जातिगण मेघवंशी निवासीगण बोया
25. तोगा पुत्र रामा की मृत्यु होने से उनके उत्तराधिकारीगणः–
  25/1 सकाराम पुत्र तोगा
  25/2 पीताराम पुत्र तोगा जातिगण मेघवंशी निवासीगण बोया
26. वेना पुत्र रामा की मृत्यु ने से उनके उत्तराधिकारीगण वारिशानः–
  26/1 गणेश पुत्र दला
  26/2 वीरमा पुत्र दला
  26/3 खीमा पुत्र दला
27. गंगाबाई पत्नि दला जाति मेघवंशी की मृत्यु होने से उनके उत्तराधिकारीगणः–
  27/1 गणेश पुत्र दला
  27/2 वीरमाराम पुत्र दला
  27/3 खीमाराम पुत्र दला
  27/4 टीपु पुत्री दला
  27/5 चुनकी पुत्री दला जातिगण मेघवंशी
  निवासीगण बोया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 25-4-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का, बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 1134, 1135 रकबा क्रमशः 0.48 हैक्टर, 0.49 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के

पेज लगातार............03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2020 GCMS NO 2020/00047

अनवान लखमाराम बनाम भंवरलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम बोया पटवार हल्का, बोया स्थित भूमि खसरा नंबर 1129, 1130, 1131, 1133 की भूमि मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड एवं मौका स्थिति के जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2020/2791 दिनांक 24.12.2021 से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदित रूट से रास्ता लंबा होने से खसरा नंबर 1132 रकबा 0.84 हैक्टर मेंसे रास्ता प्रस्तावित किया। तहसीलदार, बाली द्वारा खसरा नंबर 1132 की भूमि मेंसे रास्ता प्रस्तावित किये जाने से खसरा नंबर 1132 के खातेदारान् को पक्षकार बनाते हुये इन्हे नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में जारी नोटिस के सबंध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को आपत्ति प्रस्तुत कर भूमि उनकी भूमि कम होने व प्रार्थी के पास पहले से रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी भूरा पुत्र हरतना, भगा पुत्र चेला, हंसा पुत्र गला, कस्तुर,चुना,काना पिसरान् समा एवं रूपा पुत्र खुशाल तथा तोगा, वेना पिसरान् रामा व गंगा पुत्र दला के नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से इनके विधिक वारिशान को रेकर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 12 ने न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदक को रास्ता दिये जाने बाबत् मौखिक स्वीकृति दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 20 एवं 22 से 27 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। अप्रार्थी संख्या–21 के कायम मुकाम की ओर से दिनांक 03.02.2022 को आपत्ति पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2020/2791 दिनांक 24.12.2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 1134 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 1135 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में पुरखाराम, लखमाराम, मोहनलाल पिसरान् हुक्ता, भेरूलाल पुत्र मोतीलाल, पोनी पुत्री मोतीलाल जातिगण मेगवंशी निवासीगण बोया तहसील बाली के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। भू0अ0निरीक्षक बाली की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की लम्बाई व चौडाई की नपाई की गई हैं। जिसमें प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 1135 तक पहुँचने में रास्ते की प्रभावित भूमि कुल 221 मीटर लम्बाई में होती है। एवं 15 फीट चौडाई में अर्थात् 4.57 मीटर चौडाई में इस प्रकार कुल भूमि 1010 वर्गमीटर रास्ते के अन्दर प्रभावित होती हैं। एवं रास्ते की लम्बाई अधिक होने से मौके पर प्रभावित खातेदारो में भी विवाद प्रतीत होता हैं।

2. यह हैं कि आवेदक की शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 1134 में जाने हेतु रास्ते के खसरा नंबर 1035 से सीधे खसरा नंबर 1132 से होकर खसरा नंबर 1134 में पहुँचा जा सकता हैं। जिससे आवेदक के खातेदारी ासरा नंबर 1134 में पहुँचने में रास्ते की प्रभावित भूमि 104 मीटर लम्बाई में होती हैं एवं 15 फीट चौडाई अर्थात् 4.57 मीटर चौडाई में इस प्रकार कुल भूमि 475 वर्गमीटर भूमि ही रास्ते के अन्दर प्रभावित होती हैं। तथा इस रास्ते के प्रस्ताव से मौके पर विवाद होना प्रतीत नहीं होता हैं। व निलयमानुसार आवेदक को उनके खेत से रास्ते से कम भूमि प्रभावित हो निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान होने से आवेदक को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1134 व 1135 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1132 मेंसे रास्ता दिया जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1132	0.84 हैक्टर	बारानी अव्वल	104X 4.57=475र्गमीटर यानि 0.0475 हैक्टर	हसीया पुत्र नथा जाति मेगवंशी निवासी बोया वगैरा जमाबंदी अनुसार

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बोया की डी.एल.सी. दर 21800/– रूपये प्रति बीघा है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

पेज लगातार..........04

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//04//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2020 GCMS NO 2020/00047

अनवान लखमाराम बनाम भंवरलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने एवं खातेदार वाला पुत्र केसीया द्वारा रास्ते बाबत् सहमति प्रकट करने एवं अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 21 के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत आपत्तियाँ आधार हीन होने से खारिज की जाती है। अर्थात् आपत्तियो से कही पर यह प्रमाणित नहीं हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि तक पहले से पहुँच मार्ग उपलब्ध होते हुये उनकी खातेदारी से रास्ता चहा है। इसके साथ ही तहसीलदार, बाली अपनी जांच रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आवेदक द्वारा मांगे गये रूट से रास्ता दिये जाने पर रास्ता लम्बाई में अधिक है तथा रास्ते के लिये 1010 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होती है, जबकि प्रस्तावित रिपोर्ट में वर्णित रूट से रास्ता दिये जाने पर निकटम रास्ता है तथा दूरी भी 104 मीटर ही होने से रास्ते के लिये 475 वगमीटर भूमि ही प्रभावित होती है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **बोया** तहसील बाली के खसरा नंबर 1134 व 1135 किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **बोया** तहसील बाली के खसरा नंबर 1134, 1135 रकबा क्रमशः 0.48 हैक्टर व 0.49 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिये **अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का, बोया** तहसील बाली के खसरा नंबर 1132 रकबा 0.84 हैक्टर **मेंसे कुल 475 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण प्रभावित खातेदार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक**/2020/2791 दिनांक 24.12.2020 **के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 21800/– रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1132	0.84	104X4.57=475वर्गमीटर	13.625	6472X2= 12944	हसीया पुत्र नथा जाति मेगवंशी निवासी बोया वगैरा जमाबंदी अनुसार

देय प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण/ प्रभावित खातेदारान् द्वारा नही लिये जाने की दशा में आवेदक प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करायेगा। तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि 12944/–रूपये **अक्षरे बारह हजार नौ सौ चव्वालीस रूपये** मात्र राजकोष में जमा की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री पायल गोयल नामा)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक: 26.04.2022

क्रमॉक/कोर्ट/रास्ता/2022/1548-52

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बोया
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थी श्री लखमाराम पुत्र हुकमाजी जाति मेगवंशी निवासी बोया को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner